XIX

प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. गंगा राम जाखड़	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. एल. एन. गुप्ता (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
3.	प्रो. रविन्द्र शर्मा (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
4.	डॉ. के.एस. यादव (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
5.	प्रो. आर.एन.शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	–	सदस्य
6.	डॉ. विमलेन्दु तायल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
7.	श्री एच.आर. इसरान (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
8.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
9.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
10.	श्री अरविन्द सिंह शेखावत	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में प्रबन्ध मण्डल में नव–मनोनीत सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल सहित सभी उपस्थित सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निवर्तमान सदस्यों डॉ. परम नवदीप सिंह, श्री दौलत राज नायक, डॉ. आर.के.वर्मा, श्री मनीराम के योगदान की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी / बोम–19 / 2012 / 212
प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक एवं विशेष बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 एवं विशेष बैठक दिनांक 27–04–2012 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजे जा चुके हैं। कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 एवं विशेष बैठक दिनांक 27–04–2012 के कार्यवाही विवरणों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/213
प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 एवं विशेष बैठक दिनांक 27–04–2012 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक एवं विशेष बैंठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।
संलग्न – पालना प्रतिवेदन

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 एवं विशेष बैठक दिनांक 27–04–2012 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/214
विद्या परिषद् की 10 वीं बैठक दिनांक 08–06–2012 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव
विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 08–06–2012 का संलग्न कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संलग्न : विद्या परिषद् बैठक का कार्यवाही विवरण ।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08–06–2012 के कार्यवाही विवरण पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श कर विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 01 से 14 तक लिये गये निर्णयों का निम्न आंशिक सुधार सहित अनुमोदन किया गया –

विद्या परिषद के निर्णय सं. 07 में पृष्ठ संख्या 43 पर Comparetive Statement of Affiliation Fee के स्थान पर Proposed Affiliation Fee 2013-14 पढ़ा जावें।

इसके अतिरिक्त विद्या परिषद की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉ. अनिल कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विधि स्नातक में प्रवेश हेतु B.C.I. के दिशा–निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित करने (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 05 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए) के निर्णय (संख्या–2) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद में पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने (Referred Back) का निर्णय लिया गया। विचार–विमर्श के दौरान प्रबन्ध मण्डल सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय/विषय में स्नातक उपाधिधारी अभ्यर्थी को विधि स्नातक में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया। विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित संस्था से इस प्रकार के प्रकरण/प्रस्ताव प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय समकक्षता

समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समकक्षता समिति के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/215

आचार्य, माइक्रोबॉयोलोजी (एक–पद), सह आचार्य–माइक्रोबॉयोलोजी (दो–पद) एवं सहआचार्य–इतिहास (दो–पद) हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(13)शि–4/07 दिनांक 11–12–2007 के द्वारा आचार्य, माइक्रोबॉयोलोजी का एक पद एवं पत्र क्रमांक प.14(13)शि–4/07 दिनांक 23–03–2010 के द्वारा सह–आचार्य माइक्रोबायोलोजी एवं इतिहास के दो–दो पदों को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति की अनुपालना में विज्ञापन क्रमांक 02/2011(संस्था) जारी कर आवेदन पत्र मांगे गए। आचार्य–माइक्रोबॉयोलोजी पद के लिए 02 अभ्यर्थियों, सहआचार्य– माइक्रोबॉयोलोजी पद के लिए 14 अभ्यर्थियों एवं सह–आचार्य –इतिहास के लिए 04 अभ्यर्थियों को दिनांक 29–06–2012 को मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, जयपुर में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त पदों के लिए संबंधित चयन समितियों द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों का दिनांक 29–06–2012 को साक्षात्कार लिया जाकर सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

<u>विचार–विमर्श</u> :– प्रोफेसर, सूक्ष्म जैविकी के एक पद, सह आचार्य सूक्ष्म जैविकी के दो पदों एवं सह आचार्य, इतिहास के दो पदों हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत विवरण (योग्यता एवं अनुभव) एवं विज्ञापन सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात चयन समितियों की अनुशंसाओं को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>निर्णय</u> :– प्रोफेसर सूक्ष्म जैविकी के एक पद, सह आचार्य सूक्ष्म जैविकी के दो पदों एवं सह आचार्य, इतिहास के दो पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा (छायाप्रति संलग्न) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा सह आचार्य, सूक्ष्म जैविकी पद पर डॉ. प्रवीण गहलोत एवं सह आचार्य इतिहास पद पर डॉ. नारायण राव के चयन सम्बंधी प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय लिया। चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुसार प्रोफेसर, सूक्ष्म जैविकी पद पर साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी प्रोफेसर पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/216

निदेशक, शोध एवं सम्पदा अधिकारी को मोबाइल व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या मंगसिविबी/बोम–14/2011/152 दिनांक 13–04–2011 की पालना में आदेश क्रमांक प.03(10) मगंसिविबी/संस्था/ 2011/6686–6702 दिनांक 31–05–2011 के द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन एवं मोबाईल के बिलों के भुगतान/पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है। तत्समय विश्वविद्यालय में निदेशक शोध एवं सम्पदा अधिकारी के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उक्त पदनाम कार्यालय आदेश में सम्मिलित नहीं किये जा सके। वर्तमान समय में उक्त पदों पर अधिकारी कार्यरत है। माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(10) मगंसिविबी/संस्था/2012/7401–06 दिनांक 28–05–2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा डॉ. सूरजाराम जाखड़, निदेशक शोध को 550/– रू. प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो एवं आदेश

क्रमांक प.03(10) मगंसिविबी/संस्था/ 2012/5083 दिनांक 02–07–2012 (संलग्न) के द्वारा श्री कुलदीप जैन, सम्पदा अधिकारी को 500/–रू. प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक मोबाइल बिल के भुगतान/पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई थी। अतः उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा डॉ. सूरजाराम जाखड़, निदेशक शोध एवं श्री कुलदीप जैन, सम्पदा अधिकारी को देय मोबाईल पुनर्भरण सुविधा आदेशों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/217

श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या मंगसिविबी/बोम–17/2011/190 (2) दिनांक 17–12–2011 के द्वारा श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति के पद पर नियुक्ति को अनियमित मानते हुए उन्हें तत्कालीन योग्यता के अनुसार पद का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करने का निर्णय लिया और यदि वे इसको स्वीकार करते है तो उनकी नियुक्ति उस पद पर कर दी जावें।

प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक प.03(10) मगंसिविबी/संस्थापन/2012/3292 दिनांक 22–02–2012 के द्वारा श्री राघव पुरोहित, को निजी सचिव–कुलपति पद पर चयन के समय उनके द्वारा धारित योग्यता के अनुसार पद का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। श्री राघव पुरोहित, निजी सचिव–कुलपति ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27–03–2012 प्रस्तुत कर निजी सचिव–कुलपति पद पर नियुक्ति के समय वांछित योग्यताधारी होना अंकित करते हुए उल्लेख किया है कि न तो संभागीय आयुक्त और न ही प्रबन्ध मण्डल समिति एवं न ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा उन्हे सुनाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री राघव पुरोहित ने प्रबन्ध मण्डल के निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री राघव पुरोहित, निजी सचिव–कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27–03–2012 अवलोकन हेतु संलग्नानुसार प्रस्तुत किया गया।
संलग्न – प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2012

निर्णय :– श्री राघव पुरोहित द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27–03–2012 पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त श्री राघव पुरोहित को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। श्री राघव पुरोहित की नियुक्ति के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा ली गई आपत्ति, डॉ. एस.एस. टाक के संयोजन में गठित प्रबन्ध मण्डल समिति की अनुशंसा एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या 190 (2) दिनांक 17–12–2011 के संबंध में श्री राघव पुरोहित द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डाक्यूमेंट्स/तथ्य/बयानों के परीक्षण उपरान्त अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया –

1. प्रो. एल.एन. गुप्ता – संयोजक
2. प्रो. आर.एन. शर्मा – सदस्य
3. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/218
डीम्ड विश्वविद्यालय/अनुदानित महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.12(6)FD/Rules/05 दिनांक 13.03.2006 के क्रम में यू.ओ.नोट क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006Pt.1 dated 21 Sept, 2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सलाह दी गई कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार/लोक उपक्रमों/बोर्डों/स्थानीय निकायों/संस्थाओं में पूर्व में नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक की अन्य राजकीय विभाग/लोक उपक्रम/बोर्ड/स्थानीय निकाय/संस्था में अन्य पद पर नियुक्ति होने पर उसे यह अवसर प्रदान किया जावें कि वह परिवीक्षा अवधि के दौरान पूर्व पद पर मिल रहे वेतन स्थिर पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या मंगसिविबी/बोम–14/2011/186 एवं 187 की पालना में डीम्ड विश्वविद्यालय/अनुदानित महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 37447–54 दिनांक 07–01–2011 के द्वारा प्रो. एल.एन. गुप्ता के संयोजन में गठित समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।
संलग्न – समिति रिपोर्ट

निर्णय :– समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13–03–2006 के क्रम में जारी यू. ओ. नोट दिनांक 21–09–2011 एवं शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.8(1) शिक्षा–4/2011 दिनांक 03–01–2012 के संबंध में डीम्ड विश्वविद्यालय एवं अनुदानित/गैर अनुदानित महाविद्यालयों में अनुदानित/गैर अनुदानित पद पर कार्यरत रहे शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों की इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद पर नियुक्ति होने पर उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त किये जा रहे वेतन को संरक्षित किये जाने के बारे में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/219
वर्ष 2004 से नवीन अंशदायी पेंशन लागू होने के पश्चात विश्वविद्यालय नव–नियुक्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों का परिवीक्षाकाल दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/ स्थानीय निकायों/संस्थाओं में नियुक्त होने वाले समस्त कार्मिकों की दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर स्थिर वेतन पर नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय में वर्ष 20/01/2006 के पश्चात आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, निदेशक शोध, सम्पदा अधिकारी, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, स्टेनो ग्रेड–द्वितीय, कम्प्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य आदि पदों पर नियुक्त प्रदान की गई है। उपरोक्त नव–नियुक्त कार्मिकों को संदर्भित परिपत्र में दिये गये प्रावधानुसार दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर स्थिर वेतन पर नियुक्त किया गया है।

विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों/कार्मिकों ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों के संदर्भ में परिवीक्षाकाल एक वर्ष करने का अनुरोध किया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सेवा नियम **O.357 A " Provided that in the case of employees having put in three yerars continues service in any University or in any recognised/Affiliated College, the period of probation on their being appointed in this University shall be twelve months only"** इस संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक **No. Estt.I/2010/18131 dated 17-05-2010** की प्रति संलग्न है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सेवा नियम के बिन्दु 13 (1) **" Every person appointed to a post under the Universiy, whether by promotion or by direct recuruinment shall be on probation on such post for a period of one year or two year respectively."**

" Provided that in the case of employees having put in three yerars continues service in any University or in any recognised/Affiliated College, the period of probation on their being appointed in this University shall be one year only"

इस संबंध में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर से नियमावली (जो कि इस विश्वविद्यालय में प्रभावी है) की जानकारी मांगने पर पत्र क्रमांक प.01()संस्था/मदसविवि /2012/8820 दिनांक 23.05.2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया है कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों को ही मान्य किया गया है।

प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत 20–01–2006 के पश्चात नियुक्त होने वाले शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों के परीवीक्षाकाल अवधि संबंधित नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार ही निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/220

कम्प्यूटर विभाग में सहायक आचार्य की निर्धारित योग्यताओं में **M.Sc. (I.T.) and M.C.A.** उपाधि को सम्मिलित करने बाबत

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010 में कम्प्यूटर विभाग में सहायक आचार्य के 03 पदों हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये गये थे। कम्प्यटर विभाग में सहायक आचार्य पद हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित योग्यता निर्धारित है :–

ASSISTANT PROFESSOR

Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication

i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a **relevant subject** from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations,

2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

iv. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

Note : A relaxation of the Minimum marks of P.G. level from 55 % to 50% will be allowed to the candidates belonging to SC/ST Categories.

Explanation : 'Good Academic record' wherever occurring in these qualification means :-

- Atleast a second division in any two public examination preceding to Master's degree examination.

प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपरोक्त योग्यता अनुरूप 02 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया। चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त 02 अभ्यर्थियों में से 01 अभ्यर्थी का चयन कर नियुति की अनुशंसा की तथा दूसरे अभ्यर्थी को सहायक अचार्य पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर विभाग में सहायक आचार्य के शेष 02 पदों हेतु पुनः विज्ञापन संख्या 02/2011 (संस्था) जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता के अनुरूप मात्र एक अभ्यर्थी पात्र पाया गया है। यद्यपि M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) के उपाधि धारक कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किये है जो NET योग्यताधारी भी है। पूर्व में कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक आचार्य पद हेतु केवल M.Sc. (Computer Science) उपाधिधारकों को ही पात्र माना गया था एवं M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) उपाधिधारी अभ्यर्थियों को योग्य नही माना गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा M.Sc. Computer Science, M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) उपाधि धारकों को एक ही विषय (**Computer Science and Applications**) में नेट परीक्षा हेतु योग्य माना जा रहा है तथा M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) हेतु पृथे से नेट परीक्षा अयोजित नहीं की जाती है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर विभाग में सहायक आचार्य के 02 पद हेतु M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) उपाधि धारको को निर्धारित योग्यता में सम्मिलित कर लिया जाता है तो रिक्त पदों को भरने की संभावना बढ जाती है।

तद्नुसार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य पद हेतु M.Sc. Computer Science के साथ M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) के उपाधिधारकों के **Relevant Subject** के आधार पर पात्र माने जाने (अन्य अर्हताएं पूर्ण करने पर) हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– उपरोक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने M.Sc. Computer Science के साथ M.Sc. Information Technology and Master of Computer Application (MCA) उपाधिधारकों को **Relevant Subject** के आधार पर पात्र मानने का निर्णय लिया गया। यथानुसार पूर्व में निर्धारित योग्यताओं में संशोधन का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/221

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के आक्षेप की पालना में कम्प्यूटर जोब कार्य पर किए गए व्यय के नियमन का प्रस्ताव

प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 तक के लेखों की जॉच के दौरान परीक्षा वर्ष 2004 एवं 2005 में कार्य हेतु कम्प्यूटर जोब कार्य के लिए निविदा आमंत्रित न कर मै0 कम्प्यूटर कंसलटेन्सी सर्विसेज, अजमेर को कार्यादेश प्रदान कर ली गयी सेवाओं के लिएं फर्म को किए गए भुगतान के संबंध में आक्षेप सं–12 भाग II (ब) लिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

विश्वविद्यालय पत्र कमांक– प 05( ) लेखा/निप्र/बीविबी/2652 दिनांक– 11/5/2007 के द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पालना प्रेषित कर तत्कालीन परिस्थितियों एवं कार्यादेश जारी करने हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत कराया गया जिसके अनुसार वर्ष 2003–04 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय अशैक्षणिक स्टाफ नगण्य था तथा शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की राज्य सरकार की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ लेकर परीक्षा कार्य सम्पन्न कराया गया। चूँकि परीक्षा का आयोजन, परिणाम जारी करना, अंकतालिका जारी करना आदि समयबद्ध कार्यकम हैं एवं तत्कालीन परिस्थितियों में कम्प्यूटर जोब कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी करने में अधिक समय लगता। इस स्थिति में कार्य की महत्ता के दृष्टिगत माननीय कुलपति महोदय द्वारा कम्प्यूटर जोब कार्य हेतु फर्म के चयन एवं दर निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें परीक्षा नियंत्रक व कुलसचिव भी सम्मिलित थे। उक्त समिति ने परीक्षा संबंधी कार्य करने वाली फर्मों एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से जानकारी प्राप्त कर सर्वाधिक अनुभवी फर्म मै0 कम्प्यूटर कंसलटेन्सी सर्विसेज, अजमेर को उपयुक्त पाया तथा इस फर्म द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों में किए जा रहे परीक्षा कार्य की दरों के अनुसार ही इस विश्वविद्यालय की दरें स्वीकार की गयी।

इस प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही कम्प्यूटर जोब कार्य करवा कर किए गए भुगतान के कारण विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई। केवल कार्यादेश जारी करने हेतु अपनाई गयी प्रकिया उपयुक्त नहीं थी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में प्रधान महालेखा कार्यालय ने पत्र कमांक– 983 दिनांक– 5/7/2007 के द्वारा सक्षम अधिकारी से व्यय का नियमितिकरण कराने का उल्लेख किया है।

तद्नुसार परीक्षा वर्ष 2004 एवं 2005 में परीक्षा कार्य हेतु कम्प्यूटर जोब कार्य के भुगतान के नियमन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रधान महालेखाकार द्वारा लिये गये आक्षेप एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान महालेखाकार को प्रेषित पालना रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श किया गया। नवस्थापित विश्वविद्यालय होने एवं स्टॉफ की अत्याधिक कमी के कारण कार्यदेश जारी करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि रही है लेकिन उपरोक्त त्रुटि से विश्वविद्यालय को किसी प्रकार से वित्तीय हानि नही हुई है। अतः निर्णय लिए जाने सदाशयतापूर्ण निर्णय लिये जाने के कारण किसी भी अधिकारी/कार्मिक का दोष प्रतीत नही होता है, कम्प्यूटर जोब कार्य पर हुए व्यय को प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमित करते हुए नियमितीकरण से प्रधान महालेखकार को सूचित करने तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/222

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के आक्षेप की पालना में लेखन सामग्री खरीद पर क्रय के नियमन का प्रस्ताव

प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक के लेखों की जाँच के दौरान उक्त अवधि में क्रय की गई लेखन सामग्री की खरीद राशि रु. 4,25,952/– के संबंध में आक्षेप सं. 29 भाग–।।(ए) लिया गया था (छायाप्रति संलग्न)। लेखा परीक्षा के दौरान जारी मीमों सं. 49 दिनांक 21.11.2006 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों एवं लेखन सामग्री क्रय करने हेतु की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया गया। वर्ष 2003–04 में विश्वविद्यालय की स्थापना से समय एवं तत्पश्चात् भी अशैक्षणिक स्टॉफ नगण्य था तथा राज्य सरकार की स्वीकृति से शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा लेकर कार्य संचालन किया गया। तत्समय लेखा संबंधी कार्यों के विज्ञ कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखन सामग्री क्रय करने हेतु बीकानेर स्थित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों को आधार मानते हुए सामग्री क्रय की गई, जिससे विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि आक्षेपित राशि तीन वर्षों में विभिन्न फर्मों को जारी 78 आपूर्ति आदेशों से संबंधित है जिसमें अधिकांश मदों में तो निविदा की आवश्यकता भी नहीं थी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने पत्र क्रमांक 983 दिनांक 05.07.2007 के द्वारा समक्ष अधिकारी से व्यय का नियमितिकरण कराने का उल्लेख किया है।

तद्नुसार वर्ष 2003–04 से 2005–06 के मध्य क्रय की गई लेखन सामग्री के भुगतान के नियमन हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा लिये गए आक्षेप एवं विश्वविद्यालय की ओर से प्रधान महालेखाकार को प्रेषित पालना पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा लेखा संबंधी रही प्रक्रियात्मक त्रुटि को नियमित करते हुए उक्तानुसार प्रधान महालेखाकार को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि भविष्य में लेखा संबंधी प्रक्रियात्मक नियमों की पूर्ण पालना की जावे।

एजेण्डा आइटम संख्या : मगंसिंविबी/बोम–19/2012/223

सम्भागीय आयुक्त द्वारा विश्वविद्यालय रिकार्ड की जांच उपरांत आक्षेपित वित्तीय अनियमितताओं के नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर में हुई अनियमितताओं के संबंध में जून, 2008 में सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से विश्वविद्यालय रिकार्ड की जांच करवाई गई। सम्भागीय आयुक्त द्वारा विश्वविद्यालय रिकार्ड की जांच उपरांत राज्य सरकार को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया--(1) प्रशासनिक अनियमितताएं (2) वित्तीय अनियमितताएं एवं (3) शैक्षणिक अनियमितताएं। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14/10/2008 के द्वारा सम्भागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के संबंध में विश्वविद्यालय से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी गई जो विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1157 दिनांक 21/05/2009 के द्वारा प्रेषित की गई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक 20(1)शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 03/07/2009 के द्वारा सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल में चर्चा कर प्रबंध मण्डल के निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने हेतु लिखा। तदनुसार प्रबंध मण्डल की 10वीं बैठक दिनांक 07/11/2009 में जांच रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रबंध मण्डल ने निर्णय सं. मगसिविबी/बोम–10/2009/97 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं माना। चूंकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 8(4) के अनुसार जांच रिपोर्ट के संबंध में प्रबंध मण्डल द्वारा ही कार्यवाही की जानी है, इसलिए प्रबंध मण्डल की 12वीं बैठक दिनांक 26/07/2010 के निर्णयानुसार संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का परीक्षण कर प्रबंध मण्डल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय आदेश क्र. 1317–21 दि. 11/08/2010 के द्वारा प्रबंध मण्डल सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति का (डॉ. एस.एस. टॉक की अध्यक्षता में) गठन किया गया।

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में बिन्दुवार अनुशंसा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रबंध मण्डल की 17वीं बैठक दिनांक 17/12/2011 में विचार–विमर्श उपरांत बिन्दुवार निर्णय लिये जाकर विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 3163 दिनांक 31/01/2012 के द्वारा राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया। वितीय अनियमितताओं के संबंध में समिति ने बिन्दुवार टिप्पणी/अनुशंसा प्रस्तुत न कर उल्लेख किया कि सम्भागीय आयुक्त की रिपोर्ट में अंकित वितीय अनियमितताएं मुख्य रूप से वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि की हैं और महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस अवधि के खातों का ऑडिट कर लिया गया है। ऑडिट दल द्वारा जांच उपरांत बताई गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त जवाब भी प्रेषित किये गये हैं और बहुत से आक्षेप महालेखाकार कार्यालय द्वारा निरस्त भी किये जा चुके हैं व कुछ वर्तमान में विचाराधीन हैं। समिति ने अनुशंसा की कि महालेखाकार कार्यालय के निर्देशानुसार संबंधित मामलों में अपेक्षित कार्यवाही की जावे। प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की अनुशंसा स्वीकार की गई।

प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में ऑडिट आक्षेपों के निस्तारण हेतु समुचित कार्यवाही निरंतर की जा रही है। सम्भागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित निम्न 4 आक्षेप (छायाप्रति संलग्न) महालेखाकार ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं हैं। इन आक्षेपों के संबंध में कार्यालय रिकार्ड एवं नियमों के प्रावधान के आधार पर तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :–

1. **कुलसचिव की जानकारी के बिना सेमीनार के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने एवं संचालन उप कुलसचिव द्वारा करना व व्यय में वित्तीय नियमों की अवहेलना :–**

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के बजट एवं लेखा नियम 1997 के चेप्टर III, सेन्शन–II के नियम 41 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं) के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पृथक् से खाता संधारण किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2006–07 में सेमीनार एवं अंतर विश्वविद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता के आय व्यय लेखे संधारण हेतु कुलपति महोदय की स्वीकृति से पृथक् बैंक खाता खोला गया। बैंक खाते के संचालन हेतु बजट एवं लेखा नियम 42 (चेप्टर–III, सेक्शन–II) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी (वित्त नियंत्रक) द्वारा श्री जे.एस. खीचड़, उप कुलसचिव को अधिकृत किया गया। बजट एवं लेखा नियम 41 एवं 42 की छायाप्रति संलग्न है। ज्ञातव्य है कि सेमीनार एवं शूटिंग प्रतियोगिता सम्पन्न होने के तत्काल बाद उक्त खाता बंद कर दिया गया तथा उक्त खाते के सभी संव्यवहारों की तत्समय नियमित ऑडिट करवा ली गई जिसका विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन भी कर दिया गया।

2. **वित्त नियंत्रक को फील्ड कार्य नहीं होने पर भी किराये की इण्डिका कार उपलब्ध कराना एवं गाड़ी संचालन में अनियमितता :–**

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि वित्त नियंत्रक को समय–समय पर वित्त विभाग आयोजना विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों/कार्यालयों में विश्वविद्यालय कार्यों के संबंध में बैठकों आदिमें भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर जाना होता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा, आकादमिक, भण्डार क्रय एवं अन्य कार्यों हेतु वित्त नियंत्रक को आवंटित गाडी का उपयोग उनकी सहमति से समय–समय पर विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता रहा है। वाहन विशेष के संचालन के संबंध में प्रभावी नियंत्रण, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होने तथा इनके कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरांत वित्त नियंत्रक को वाहन आवंटित किया गया।

3. **कुलपति को आवंटित वाहन उपयोग के औचित्य की जांच :–**

वाहन संबंधी अभिलेखों के अनुसार कुलपति महोदय द्वारा सदैव विश्वविद्यालय कार्यों हेतु ही वाहन का उपयोग किया गया है। विश्वविद्यालय स्थापना उपरांत कुलपति महोदय के उपयोग हेतु एम्बेसेडर कार (सं. RJ07-C-6768) क्रय की गई। कालांतर में यह गाड़ी लम्बी यात्राओं के लिए अनुपयोगी एवं सुरक्षित न रहने पर नवम्बर, 2006 में हुंडई वेरना कार किराये पर ली गई जिसका मार्च, 2008 तक उपयोग किया गया। मार्च 2008 में नई एम्बेसेडर कार (सं. RJ07-CA-2754) क्रय की गई। उल्लेखनीय है कि कुलपति महोदय द्वारा सदैव एक गाड़ी एवं एक वाहन चालक का ही उपयोग किया गया तथा दूसरी गाड़ी का उपयोग परीक्षा कार्यों हेतु किया गया।

4. **50000/– रूपए से अधिक राशि व्यय करने पर खुली निविदा का अभाव :–**

सम्भागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में लिये गए इस आक्षेप में दर्शाई गई सूची के अनुसार 16 मदों में निविदा आमंत्रण का अभाव अंकित किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि :–

(अ) सूची के आइटम सं. 5, 10, 11, 14 एवं 15 के लिए समाचार पत्रों में अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दर दाता फर्मों को कार्यादेश जारी किये गये।

(ब) सूची के आइटम सं. 1, 2 व 16 विश्वविद्यालय में वाहन क्रय से संबंधित हैं। वाहन क्रय हेतु खुली निविदा प्रक्रिया न अपना कर DGS&D Rates अथवा अधिकृत निर्माता विक्रेता से कम्पनी विशेष द्वारा अनुमोदित दरों पर वाहन क्रय किये जाते हैं। उक्त तीनों वाहन राजकीय विभागों/उपक्रमों हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों पर अधिकृत निर्माता/विक्रेता से क्रय किये गये।

(स) आइटम सं. 4, 6, 7, 9 एवं 12 के संबंध में स्पष्टीकरण एजेण्डा सं. 221 के अनुसार है।

(द) आइटम सं. 3, 8 एवं 13 पर अंकित मदों का भुगतान बाजार दरों के सत्यापन उपरांत कार्य की अर्जेंसी के कारण कुलपति महोदय की स्वीकृति से किया गया।

अभिलेखों के अनुसार अधिकांशतः निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है तथा कतिपय मदों में उचित कारणों से निविदा के बिना कार्यादेश जारी किये गये।

सम्भागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के उक्त चारों आक्षेपों के संबंध में वर्णित उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण के अनुसार यद्यपि प्रक्रियात्मक त्रुटि रही है तथापि विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय हानि हुई प्रतीत नहीं होती हैं। संभागीय आयुक्त द्वारा विश्वविद्यालय की वित्तीय कार्यप्रणाली में सुधार हेतु दिये गये सुझावों (छायाप्रति संलग्न) की वर्तमान में पूर्ण पालना की जा रही हैं। अतः उक्त चारों आक्षेपों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा बिन्दुवार चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

(1) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के बजट एवं लेखा नियम 1997 के चेप्टर III, सेन्शन–II के नियम 41 एवं 42 (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं) के के प्रावधान अनुसार माननीय कुलपति महोदय एवं वित्त नियंत्रक की स्वीकृति से सेमीनार कार्य हेतु पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने एवं उप कुलसचिव द्वारा संचालन करने में कोई भी अनियमितता नही हुई है। उक्त खाते के समस्त सव्यवहारों की तत्समय नियमित ऑडिट करवाकर प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित करवा ली गई, अतः उक्त प्रकरण में अब कोई भी कार्यवाही शेष नही है। तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित किया जावे।

(2) वित्त नियंत्रक को समय–समय पर वित्त विभाग, आयोजना विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों/कार्यालयों में विश्वविद्यालय कार्यों के संबंध में बैठकों आदि में भाग लेने हेतु बाहर जाना होता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा, अकादमिक, भण्डार क्रय एवं अन्य कार्यों हेतु वित्त नियंत्रक को आवंटित गाड़ी का

उपयोग उनकी सहमति से समय–समय पर विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता रहा है। कार्य की प्रकृति को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा वित्त नियंत्रक को कार आंवटित करना प्रबन्ध मण्डल द्वारा न्यायोचित माना है। अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होने के कारण तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित किया जावें।

(3) कुलपति महोदय द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा असहमति प्रकट की गई। कुलपति महोदय द्वारा एक समय में एक ही वाहन का उपयोग किया गया है, एवं दूसरे वाहन का उपयोग परीक्षा कार्य हेतु किया गया है। अतः उक्त प्रकरण पर कोई भी आगामी कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित किया जावे।

(4) राशि रू. 50,000/– से अधिक व्यय करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित उत्तर से प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति प्रकट करते हुए माना कि अधिकांश आइटम खरीदने में निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है। वाहन क्रय हेतु खुली निविदा न अपना कर **DGS&D Rates** अथवा अधिकृत निर्माता विक्रेता से कम्पनी विशेष द्वारा अनुमोदित दर पर वाहन क्रय किये गये है। उक्त सभी व्यय सक्षम प्राधिकारी माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त करने के कारण कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। तद्नुसार राज्य सरकार अवगत कराया जावे।

संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय की वित्तीय कार्यप्रणाली के सुधार हेतु प्रदत्त सुझावों की वर्तमान में पूर्णतः पालना की जा रही है।

उक्त आक्षेपों में व्यय करने संबंधी प्रक्रियात्मक त्रुटि को प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमित करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृति नही करने के निर्देश प्रदान किये ।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/224

वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय के अपलेखन/ दायित्व निर्धारण/वसूली के संबंध में प्रस्ताव

प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक के लेखों की जाँच के दौरान वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय राशि रू.14.32 लाख रूपये के संबंध में आक्षेप सं 6 भाग–II(ब) लिया गया था जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक प.05( )नि.स.बीविबी/2007/2652 दिनांक 11–05–2007 के द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पालना प्रेषित कर आपूर्ति आदेश जारी करने एवं भुगतान की कार्यवाही से अवगत कराया गया। वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण कराने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गोपनीय प्रेसों से प्राप्त कोटेशनस की तुलनात्मक विवरणी तैयार करने एवं कार्यादेश की शर्तें निर्धारित करने के लिए तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, प्रभारी गोपनीय शाखा एवं एक व्याख्याता (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत) की समिति गठित की गई। समिति ने दिनांक 16–06–2005 को कोटेशन खोले तथा गोपनीय प्रेस सं. 2 (मैसर्स शक्ति प्रिंटर्स, नई दिल्ली) द्वारा प्रस्तुत दर, कागज का वजन, साइज व प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाने पर कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा की। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार करने पर विश्वविद्यालय

पत्र क्रमांक 1488 दिनांक 16-06-2005 के द्वारा उपाधि प्रपत्र मुद्रण हेतु कार्यदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 01-07-2005 के द्वारा विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या व उपाधि के नमूने प्रेषित कर एक माह में उपाधि प्रपत्रों की आपूर्ति हेतु संवेदक प्रेस को लिखा गया।

प्रिंटिंग प्रेस द्वारा आपूर्ति की गयी उपाधियों की जांच व गणना हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 16430-37 दिनांक 14-09-2005 के द्वारा प्रभारी, गोपनीय शाखा के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। उक्त समिति ने जांच उपरान्त 94583 उपाधि प्रपत्रों को भुगतान हेतु उपयुक्त पाया जिनका भुगतान वाउचर सं. 1043 दिनांक 10-01-2006 (आंशिक रूप से भुगतान की गयी राशि 8.00 लाख को समायोजित करते हुए कुल राशि 1182288/-) के द्वारा किया गया।

प्रथम आपूर्ति आदेश दिनांक 10-07-2005 में केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वाली उपाधियां ही सम्मिलित थी तथा पास श्रेणी (प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त) एवं पूरक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधि सम्मिलित नहीं थी। चूंकि समस्त प्रकार की उपाधियों का वितरण एक साथ ही होता है इसलिए विभिन्न कक्षाओं में पास श्रेणी एवं पूरक में पास श्रेणी की 20000 उपाधियां भी पूर्व में स्वीकृत दरों पर उसी फर्म से छपवाने का निर्णय लिया गया एवं पत्र सं. 23039 दिनांक 22-12-2005 के द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया। उक्त आपूर्ति आदेश के द्वारा प्राप्त उपाधि प्रपत्रों की जांच एवं गणना हेतु पुनः एक समिति गठित की गई एवं समिति ने जांच उपरान्त 20384 उपाधि प्रपत्रों को भुगतान हेतु उपयुक्त पाया। आपूर्ति आदेश की मात्रा की सीमा तक 20,000 उपाधि प्रपत्रों का भुगतान वाउचर संख्या 327 दिनांक 05-06-2006 राशि रू. 250000/- के द्वारा किया गया।

उपरोक्त समस्त उपाधि प्रपत्रों की विश्वविद्यालय स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 2 से 21 पर प्रविष्टि की गई है जिसका लेखा परीक्षा द्वारा भी अवलोकन किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा उपाधियों से संबंधित आक्षेप (सं.6) में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया :-

1. त्रुटिपूर्ण एवं स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने के कारण जारी किए जाने योग्य नहीं होने से निष्फल व्यय।
2. बिना खुली निविदा आमंत्रित किए उपाधि मुद्रित कराना।
3. विलम्ब से आपूर्ति के कारण परिनिर्धारित राशि (एलडी) वसूली का अभाव।
4. आवश्यकता से अधिक उपाधि मुद्रित कराना।

उपरोक्त आक्षेपों की विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 2652 दिनांक 11-05-2007 के द्वारा प्रेषित पालना के आधार पर प्रधान महालेखाकार के पत्र क्रमांक 983 दिनांक 05-07-2007 के द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 में अंकित आक्षेप निरस्त कर दिए गए हैं।

उपाधियों के भौतिक सत्यापन एवं भुगतान संबंधी समस्त कार्यवाही माह जून, 2006 तक पूर्ण हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 11002-09 दिनांक 08-08-2006 के द्वारा उपाधियों की जांच हेतु दो सदस्यीय समिति (तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं प्रभारी, शोध) का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06-11-2006 में पास एवं पूरक श्रेणी की 20000 उपाधि प्रपत्रों की आपूर्ति को उचित मानते हुए द्वितीय आपूर्ति आदेश दिनांक 22-12-2005 को आवश्यकता के अनुरूप माना, तथापि रिपोर्ट में स्क्रिप्ट संबंधी कतिपय त्रृटियां अंकित की गई।

तत्पश्चात प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार उपाधि प्रपत्रों की पुनः विस्तृत जांच हेतु डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (प्रबन्ध मण्डल सदस्य) की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति गठित की गई। उक्त समिति ने दिनांक 18-01-2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उपाधियों में त्रुटियों एवं सुरक्षात्मक चिन्हों के अभाव के कारण वितरण योग्य नहीं मानते हुए भविष्य में खुली निविदा से उपाधि मुद्रित कराने की अनुशंसा की। उक्त समिति की अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 14-02-2008 में प्रस्तुत की गई। वर्ष 2005-06 में मुद्रित करायी गई उपाधियों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा वितरण योग्य न मानते हुए नई उपाधि मुद्रित कराने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 18429-38 दिनांक 15-12-2009 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य डॉ. एस.एस. टाक की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की गई जिसने दिनांक 15-02-2010 को प्रस्तुत रिपोर्ट में पूर्व में मुद्रित उपाधियों को अन्तर्निहित विषयवस्तु एवं भाषा संबंधी त्रुटियों के कारण वितरण योग्य नहीं माना। प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए नवीन उपाधि मुद्रित कराने का निर्णय लिया गया एवं तद्नुसार नई उपाधि मुद्रित करवाकर दिनांक 18-11-2011 को प्रथम दीक्षान्त समारोह आयोजित कर परीक्षा वर्ष 2004 से 2008 तक की उपाधियां वितरित कर दी गई।

उपाधि मुद्रण के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा भी जांच रिपोर्ट में आक्षेप लिया गया है (छायाप्रति संलग्न) जिसके सम्बन्ध में अभिलेखों के आधार पर बिन्दुवार स्थिति निम्नप्रकार है :-

1. बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के संबंध में उल्लेख है कि पत्रावली के अनुसार तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा उपाधि मुद्रण को गोपनीय कार्य की श्रेणी में लेते हुए कार्यादेश जारी किया गया। समान आक्षेप लेखा परीक्षा द्वारा भी लिया गया था जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पालना के आधार पर महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक 983 दिनांक 05-07-2007 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
2. बिन्दु संख्या 4 के संबंध में लेख है कि यद्यपि उपाधि मुद्रण हेतु कार्यादेश की शर्त आदि निर्धारण हेतु गठित समिति में वित्त नियंत्रक सम्मिलित नहीं थे तथापि भुगतान से पूर्व वित्त नियंत्रक की सहमति प्राप्त की गई थी।
3. बिन्दु संख्या 5 के संबंध में लेख है कि प्राप्त उपाधि प्रपत्रों के आकार तथा कागज हैण्डमेड होने की जांच भुगतान से पूर्व एक समिति गठित कर करवा ली गई थी। जी.एस. एम. की जांच फर्म की प्रतिभूति राशि लौटाने से पूर्व करा ली गई जो वांछित जी.एस.एम. (200) से अधिक 260 जी.एस.एम. थी।
4. बिन्दु संख्या 6 के संबंध में लेख है कि प्राय समिति निविदा के आधार पर जारी आपूर्ति आदेश में अनुबंध पत्र नहीं भराया जाता है।
5. बिन्दु संख्या 07 के संबंध में लेख है कि आगामी आवश्यकता के मध्य नजर तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा आपूर्ति स्वीकार की गई। उल्लेखनीय है कि 94250 उपाधि प्रपत्रों के आपूर्ति आदेश के विरूद्व कुल 94583 उपाधि प्रपत्रों का भुगतान किया गया।
6. बिन्दु संख्या 8 में अंकित आक्षेप प्रक्रिया संबंधी है एवं फर्म को केवल देय भुगतान ही किया गया है। फर्म की प्रतिभूति राशि लौटाने से पूर्व कमियों की पूर्ति करवाई जा सकती है। स्टॉक रजिस्टर में उपाधि प्रपत्रों की प्रविष्ठि की हुई है।

7. बिन्दु संख्या 9 के संबंध में उपरोक्त बिन्दु 8 में अंकितानुसार फर्म को केवल देय भुगतान ही किया गया है।

8. बिन्दु संख्या 10 के संबंध में लेख है कि फर्म को आपूर्ति आदेश की मात्रा (20000 उपाधियां) का ही भुगतान किया गया है एवं इसके अतिरिक्त परिवहन चार्ज आदि का कोई भुगतान नही किया गया।

9. बिन्दु संख्या 11 के संबंध में पत्रावली में अंकित सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणी के अनुसार प्रथम आपूर्ति आदेश में Terms & Conditions निर्धारित थी एवं कॉगज की कीमतों में वृद्धि के कारण फर्म को वार्ता हेतु आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं समझते हुए पूर्व आदेश की दरों एवं शर्तो पर 20000 अतिरिक्त उपाधि प्रपत्रों का आपूर्ति आदेश जारी किया गया। लेखा नियमों के अनुसार भी 50 प्रतिशत मात्रा के लिए रिपीट आदेश दिया जा सकता है।

10. बिन्दु सं. 12 के संबंध में लेख है कि समान आक्षेप लेखा परीक्षा द्वारा भी लिया गया था जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पालना के आधार पर महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक 983 दिनांक 05-07-2007 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

11. बिन्दु सं. 13 के संबंध में लेख है कि मूल आपूर्ति आदेश के द्वारा प्राप्त उपाधि प्रपत्रों के भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही इस रिपीट आदेश के द्वारा प्राप्त उपाधि प्रपत्रों का भुगतान किया गया।

12. बिन्दु सं. 14 एवं 15 के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक विवरण लेखा परीक्षा आक्षेप के संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त विवरणानुसार है।

उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2005-06 में मुद्रित कराई गई समस्त उपाधियां अप्रयुक्त रही। उल्लेखनीय है कि उपाधियों की आपूर्ति से भुगतान तक की अवधि में उपाधियों के त्रुटिपूर्ण होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ। चूंकि वर्ष 2008 तक की उपाधि (बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम से) वितरित की जा चुकी है इसलिए वर्ष 2005-06 में मुद्रित कराई गई उपाधियों का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। अत: वर्ष 2005-06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय के अपलेखन (Write Off) /दायित्व निर्धारण/वूसली हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- वर्ष 2005-06 में मुद्रित करवाई गई उपाधियों का वर्तमान समय में कोई उपयोग नही होने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपाधि मुद्रण में हुए व्यय राशि रू. 14.32 लाख को निष्फल व्यय माना गया। उक्त निष्फल व्यय का अपलेखन करने से पूर्व प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसके द्वारा रिकार्ड का अवलोकन कर आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को व्यक्तिशः सुनकर वूसली/दायित्व निर्धारण करने के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी -

1. प्रो. आर.एन. शर्मा - संयोजक
2. डॉ. के.एस. यादव - सदस्य
3. माननीय कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत एक सदस्य

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट/अनुशंसा तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/225

अतिथि गृह के कक्षों का उपभोग करने हेतु निर्धारित दरों के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय अतिथि गृह के कक्षों के उपभोग हेतु किराये की दरों के निर्धारण के लिए गठित समिति की अनशुंसा को माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.01(37) मगंसिविबी/भवन/अतिथि गृह/2011/556 दिनांक 11–05–2011 के द्वारा निर्धारित की गई थी। किराया दरें प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन हेतु एजेण्डा बिन्दु 171(1) विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक में प्रस्तुत की गई। प्रबन्ध मण्डल की 16वीं बैठक के दौरान प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक में लिये गए निणर्यों के पालना प्रतिवेदन के अनुमोदन के समय माननीय सदस्य डॉ. एस. एस. टाक ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अतिथि गृह के उपभोग हेतु अंकित दरें सर्किट हाउस एवं अन्य विश्वविद्यालयों के अतिथि गृह से अधिक प्रतीत होती है। सर्किट हाउस एवं अन्य विश्वविद्यालयों से दरों की सूची मंगवाकर दरे संतुलित कर पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावें।

राजस्थान में सर्किट हाउस में ठहराव हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दर निर्धारण आदेश क्रमांक प16(39)साप्र/5/88 जयपुर दिनांक 16–03–2012 एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अतिथि गृह के कक्षों का उपभोग हेतु निर्धारित दरों सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न कर उल्लेख है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित दरें राज्य सरकार एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर से कम है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि गृह के कक्षों हेतु किराये की दरों के सम्बन्ध में विशविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश आंशिक संशोधन सहित पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि गृह के कक्षों हेतु किराये की दरों के सम्बन्ध में विशविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.01(37)मगंसिविबी/भवन/अतिथि गृह/2011/556 दिनांक 11–05–2011 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से दरों का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार संशोधित आदेश जारी किया जावे।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/226

अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने सम्बन्धी प्रस्ताव :

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के चार नवीन पद सृजित किए गए थे। स्वीकृति आदेश में इन पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया अथवा पदोन्नति से भरने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थें । प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या 189 के अनुसार विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के उक्त 4 पदों में से 02 पद पदोन्नति द्वारा तथा शेष 02 पदों को विज्ञापन जारी कर खुली भर्ती से भरे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में लेख है कि प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या 157(iii) की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03 ( ) मगंसिविबी/संस्था/2824–2850 दिनांक 21–04–2012 के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार व्यास की सेवाओं का विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक पद पर समायोजन कर लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में विश्वविद्यालय में 3 कार्मिक कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत है।

चूंकि कार्यालय सहायक से अग्रिम पद विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी का है इसलिए अनुभाग अधिकारी के उक्त 4 पदों में से तीन पद पदोन्नति से भरे जाने एवं एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अनुभाग अधिकारी के उक्त 4 पदों में से तीन पद पदोन्नति से भरे जाने एवं एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/227

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय कार्यों हेतु बीकानेर मुख्यालय से बाहर जाने पर विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय विश्राम गृह, अन्य विश्वविद्यालयों के अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव पर होने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 11–09–2007 के विनिर्णिय संख्या 67 (iii) की अनुपालना में प्रो. एल.एन. गुप्ता, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल की अध्यक्षता में उपरोक्त यात्रा सुविधाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों एवं चयन समिति सदस्यों के सम्बन्ध में दिनांक 19–05–2009 को प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा प्रस्तुत की जिस पर प्रबन्ध मण्डल की 11 वीं बैठक दिनांक 23–04–2010 में विचार कर निर्णय लिया गया

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय कार्य हेतु समय- समय पर मुख्यालय से बाहर जाना पडता है। विश्वविद्यालय एक स्वायतशाषी संस्था होने के कारण माननीय कुलपति महोदय के अलावा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय विश्राम गृह में आवास आवंटित नहीं किया जाता हैं। परिणामस्वरूप अन्य विश्वविद्यालयों के अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहरना पडता है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव पर होने वाले व्यय का उनके पद (श्रेणी) अनुरूप राज्य सरकार के नियमान्तर्गत देय राशि का विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्भरण करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय कार्यों हेतु मुख्यालय से बाहर होने पर उनके राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह एवं राज्य पर्यटन विकास निगम होटल्स में ठहराव पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया –

1. प्रो. एल.एन. गुप्ता – संयोजक
2. प्रो. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
3. वित्त नियंत्रक – सदस्य

उपरोक्त समिति तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/228

सत्र 2012–13 हेतु नवीन सम्बद्धता/सीट अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31–07–2012 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय स्टेट्यूटस के प्रावधानुसार महाविद्यालयों को नवीन सम्बद्धता/नवीन पाठ्यक्रम / अतिरिक्त विषयों की नवीन सम्बद्धता/सीट अभिवृद्धि हेतु सम्बद्धता शुल्क के समान विलम्ब शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2012 निर्धारित है।

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48 (1) (2) के अनुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51 (1) में किये गये संशोधन के क्रम में सत्र 2010–11 में निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की तीन गुणा विलम्ब शुल्क के साथ नवीन सम्बद्धता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31–07–2010 तक आवेदन स्वीकार किए गए थे।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में सत्र 2012–13 हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की तीन गुणा विलम्ब शुल्क के साथ नवीन सम्बद्धता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31–07–2012 तक आवेदन स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– सत्र 2012–13 हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के तीन गुणा विलम्ब शुल्क सहित चार गुणा राशि के साथ नवीन सम्बद्धता/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/सीट अभिवृद्धि हेतु दिनांक 31–07–2012 तक आवेदन स्वीकार करने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/229

विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों/मौखिक परीक्षा/महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले सदस्यों को देय टैक्सी किराया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में विद्या परिषद सदस्य, शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों, महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए नियुक्त निरीक्षकों, पाठ्यक्रम समिति सदस्यों, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु गठित समिति के सदस्यों को वर्तमान में माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से फोर सीटर कार से यात्रा करने पर रूपये 4.50 प्रति कि.मी. की दर से देय है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ6( ) विवले/अनु–प्र–मं/2009/43207–86 दिनांक 08–09–2009 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विद्या परिषद सदस्यों, शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों, महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए नियुक्त निरीक्षकों, पाठ्यक्रम समिति सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति से यात्रा करने पर किराए पर ली गई फोर सीटर ए.सी. कार/टैक्सी रूपये 5.50 प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जा रहा है। नॉन ए.सी. कार/टैक्सी की यात्रा पर रूपये 4.50 प्रति कि.मी. ही देय है।

विश्वविद्यालय में उपरोक्त कार्यों हेतु माननीय कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति से स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा करने वाले माननीय सदस्यों को कार/टैक्सी का किराया नॉन ए.सी. कार 4.50 रू. प्रति कि.मी. एवं ए.सी. कार 5.50 रू. प्रति कि.मी. निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में विद्या परिषद सदस्यों, शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित विषय विशेषज्ञों, महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए नियुक्त निरीक्षकों, पाठ्यक्रम समिति सदस्यों, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु गठित समिति के सदस्यों को माननीय कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति से स्वयं की ए.सी.कार/टैक्सी से यात्रा के लिए 5.50 रू. प्रति कि.मी. की दर निर्धारित की गई।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–19/2012/230

वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु कार्य अनुभव में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव :

श्री ओम प्रकाश शर्मा 31 मई, 1994 से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। वर्ष 2005 में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानान्तरित होकर इस विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण उपरान्त विश्वविद्यालय में स्टॉफ की अत्यधिक कमी के कारण श्री शर्मा से सहायक कर्मचारी के कार्य के साथ–साथ समय–समय पर स्नातकोत्तर परीक्षा अनुभाग में कनिष्ठ लिपिक का कार्य भी लिया जाता रहा। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(55)मगंसिंविबी/ संस्था/2011/2683–96 दिनांक 28.04.2011 के द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा को सहायक कर्मचारी पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में छः वरिष्ठ लिपिक के पद रिक्त है। उक्त छः रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 22, परिशिष्ट III A(4) जो इस विश्वविद्यालय में लागू है के अनुसार कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पर पदोन्नति हेतु कम से कम तीन वर्ष का कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यानुभव आवश्यक है। श्री शर्मा को कनिष्ठ लिपिक पद पर लगभग 1 वर्ष 3 माह का कार्यानुभव प्राप्त है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा ने उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक कार्यानुभव (तीन वर्ष) में शिथिलता प्रदान करते हुए कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत करने की प्रार्थना की है।

अतः वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ लिपिक पर आवश्यक कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श कर श्री ओमप्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक की योग्यता एवं कार्यानुभव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक

कार्यानुभव 03 वर्ष की अवधि में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–19/2012/231

विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य सम्पदा अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराने हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न निर्माण कार्य (एक से चतुर्थ चरण) तक के राज्य योजना मद, जनसहभागिता योजना एवं विश्वविद्यालय की स्वमं की आय से करवाऐ जाते रहे है। प्रथम से तृतीय चरण के निर्माण कार्यो पर विश्वविद्यालय की स्वं की आय के अतिरिक्त राज्य योजना मद एवं जन सहभागिता योजना अर्न्तगत जुटाई गई राशि भी खर्च की जा रही थी अतः प्रथम से तृतीय चरण तक के सभी निर्माण कार्य राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार कम सुपरविजन चार्जेज एवं बेहतर टर्मस के आधार पर कार्यकारी ऐजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. से करवाऐं जाते रहे है।

अब चूंकि विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी के पद का सृजन एवं इस पद पर नियुक्ति भी हो चुकी है, अतः इस पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी करवा सकता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सामान्य एवं वित्त लेखा नियम 1997 जो कि इस विश्वविद्यालय में लागू हैं, के प्रावधानो के अनुसार भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य स्वयं विश्वविद्यालय के द्वारा अपने स्तर पर करवाए जाने के लिए प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर 50.00 लाख की वित्तीय सीमा तक निर्माण कार्य महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के वित्तीय एवं लेख नियम 1997 के प्रावधानुसार सम्पदा अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करवाने का निर्णय लिया गया। चूंकि विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी का पद सहायक अभियन्ता स्तर का होने के कारण कुलपति महोदय द्वारा गठित **Building Execution Committee** के माध्यम से निर्माण कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव